डॉ. बी. राजेन्दर
भा० प्र० से०
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

31 OCT 2012

पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–21/2011 सो. 1010 दिनांक 30/10/12

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषयः– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समीक्षा के क्रम मे ज्ञात हुआ है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यालयों में संविदा पर नियोजित आई0टी0 सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों का संबंधित कार्यालय के पदाधिकारियों एव कर्मियों के साथ पर्याप्त समन्वय का अभाव है।

2. ऐसे भी दृष्टान्त मिले है कि जिसमें यह पाया गया कि कतिपय पदाधिकारियों की यह धारणा है कि संविदा पर नियोजित ये कर्मी जिला या मुख्यालय स्तर से नियोजित किये गये है एव उनका प्रशासनिक नियंत्रण भी जिला या मुख्यालय स्तर से संचालित होता है। कुछ मामलों में संविदा पर नियोजित इन कर्मियों के उन्मुक्त आचरण से भी इस धारणा को बल मिलता है।

अतः इस संबंध में कहना है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में वेहतर सहयोग हेतु यह आवश्यक है कि जिन कार्यालयों में वे कार्यरत है उस कार्यालय के प्रधान के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में वे कार्य करेंगे। उनके अवकाश की स्वीकृति, मानदेय का भुगतान, दैनिक उपस्थिति आदि के संधारण का पूर्ण अधिकार इन कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के कार्यालयों के कार्यालय प्रधान का होगा।

3. यहां यह भी स्पष्ट करना है कि जिला पदाधिकारी संबधित कार्यालय प्रधान की अनुशंसा पर अथवा स्वतः संतुष्ट होने पर संविदा पर नियोजित इन कर्मियों को जिलें के अन्तर्गत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर सकते है एव यदि सेवा में त्रुटि अथवा कदाचार, अनुशासनहीनता आदि के मामले पाये जाते है तो उन्हें सेवा मुक्त करने हेतु वे पूर्णतः सक्षम है।

विश्वासभाजन

29.10.2012

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक

कार्यालयः– सिंचाई बैरक नं. –1 हार्डिंग रोड, पटना–800015 फोनः–0612–2545191, फैक्स–0612–2215908
e-mail : and.bpsm@gmail.com, web : www.bpsm.bih.nic.in